निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आश्विन 1939 (श0)
(सं0 पटना 975) पटना, शुक्रवार, 13 अक्तूबर 2017

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

13 अक्तूबर 2017

एस०ओ० 239, दिनांक 13 अक्तूबर 2017––बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के अनुसरण में और आयुक्त, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 40 के उप-नियम (1) के खंड (ख) में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा **प्ररूप जीएसटी आईटीसी-1** में घोषणा करने के लिए, जो इस प्रभावी महीनों को माह जुलाई, 2017 अगस्त, 2017 और सितम्बर, 2017 के दौरान पात्र हो गए हैं, जिन्हें 31 अक्तूबर 2017 तक उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाने के वे पात्र हैं, समय सीमा विस्तारित करते हैं।

[(सं०सं०–बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017–3744)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

13 अक्तूबर 2017

एस०ओ० 240, एस०ओ० 239, दिनांक 13 अक्तूबर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०–बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017–3744)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

The 13th October 2017

S.O. 239, dated the 13th October 2017— In pursuance of section 168 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter referred to as the said Act) and clause (b) of sub-rule (1) of rule 40 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, hereby extends the time limit for making a declaration, in **FORM GST ITC-01**, by the registered persons, who have become eligible during the months of July, 2017, August, 2017 and September, 2017, to the effect that they are eligible to avail the input tax credit under sub-section (1) of section 18 of the said Act, till the 31st day of October, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017—3744)]
By the order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 975-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in